चीनी के स्टाक का किया निरीक्षण

मड़िहान, हिन्दुस्तान संवाद। चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए उपजिलाधिकारी संतोष कुमार ओझा, सीओ (ऑपरेशन) फहीम अहमद व विपणन निरीक्षक जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में मड़िहान और भावा कस्बे में स्थित किराना दुकानों का छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानों पर चीनी के स्टॉक और बिक्री दर की जांच की।

शाम को छह बजे गंगा का जलस्तर 72.871 मीटर रिकार्ड किया गया

जनपद में आधा सेमी प्रति घंटे की गति से घट रहा गंगा का जलस्तर

मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में गुरुवार की शाम चार बजे गंगा का जलस्तर आधा सेमी प्रति घंटे घट रहा है। गंगा का जलस्तर धीमी गति से घटने से तटवर्ती गांवों के किसान संभावित बाढ़ को लेकर चिंतित है। तटवर्ती गांवों के लोगों का कहना है कि यदि गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई तो सीवान में बोई गई खरीफ की फसलों को भारी क्षति हो सकती है। वहीं बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक गंगा की सहायक नदियों टौंस व बेतवा में बाढ़ के कारण जलस्तर घटने की दर कम हो गयी है।

गुरुवार को शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 72.871 मीटर रिकार्ड किया गया। गंगा का यह जलस्तर चेतावनी बिंदु से 3.853 मीटर नीचे है। जिले में गंगा का जलस्तर बुधवार की रात स्थिर हो गया था। लगभग 20 घंटे गंगा का जलस्तर स्थिर रहने के बाद गुरुवार की शाम छह बजे से मात्र आधा सेमी प्रति घंटे घटाव शुरु हुआ। गंगा का जलस्तर काफी धीमी गति से घटने से तटवर्ती गांवों के लोगों के साथ ही जिला प्रशासन भी सकते में पड़ गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और गंगा की सहायक नदियों टौंस व बेतवा आदि के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण गंगा के जलस्तर में घटाव की दर आधा सेमी प्रति घंटे हो गया है। गंगा का जलस्तर धीमी गति से घटने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसान फसलों के लिए चिंतित हैं।

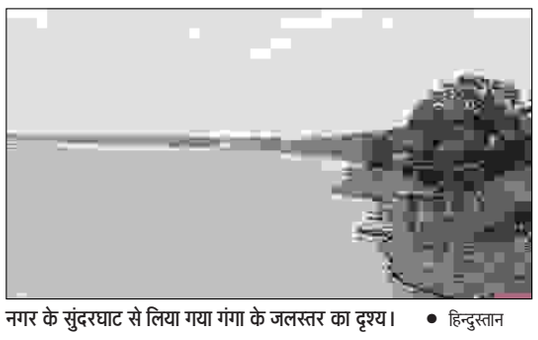

नगर के सुंदरघाट से लिया गया गंगा के जलस्तर का दृश्य। • हिन्दुस्तान

रात में हुई बारिश और दिन में धूप से बढ़ी उमस

मिर्जापुर। जिले में बुधवार की रात हुई बारिश से जहां उमस से राहत मिल गयी थी। वहीं गुरुवार की सुबह धूप हो जाने से उमस बढ़ गयी। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उमस के कारण लोग पसीने से भींग गए। वहीं कई लोगों की तबियत भी खराब हो गई। जिले में बुधवार की रात हुई झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमान हो गया। वहीं रात में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गयी। सुबह बेहतर मौसम होने के कारण लोग मार्निंगवॉक करते नजर आए। बुधवार की रात में हुई बारिश से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव हो गया। बारिश से नगर की अधिकांश सड़कें गड्ढे में तब्दिल हो गयी है। गड्ढों में पानी भरा होने के कारण अक्सर दो पहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जा रहे।

शहर 30s

वज्रपात से पांच ट्रांसफॉर्मर फुंके

अहरौरा। विद्युत सब स्टेशन अहरौरा से संबंधित विभिन्न स्थानों पर बुधवार की आधी रात को आकाशीय बिजली गिरने से पांच ट्रांसफॉर्मर फुंक गए। अहरौरा विद्युत सब स्टेशन के जेई पंचधारी सिंह ने बताया कि अहरौरा फीडर पर डकही 25 केवी ,नीबी देवरिया 10 केवी, मानिकपुर 10 केवी, सरिया हरिजन बस्ती 25 केवी व मानिकपुर में 100 केवी का ट्रांसफॉर्मर आकाशीय बिजली से फुंक गए।

तीन मामलों में चार दोषियों को सुनाई सजा

मिर्जापुर। न्यायालय ने लालगंज थाने में दर्ज आयुध अधिनियम में दोषी लालगंज के छाहुर मझगवां के मुहम्मद अफसर को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये, शहर में दर्ज धमकी देने के मामले में दोषी अमन कुमार व अवधेश कुमार को जेल में बितायी गयी अवधि और कटरा कोतवाली में दर्ज लापरवाही वाहन चलाने के मामले में दोषी मड़िहान के रामपुर के अनिल कुमार सिंह दंडित किया।

साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी

मिर्जापुर। साप्ताहिक साइबर जागरुकता अभियान कार्यक्रम के तहत साइबर क्राइम थाना की ओर से शिवजी इण्टर कॉलेज बेलतर में कार्यशाला हुई। इसमें प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार, शिक्षक व छात्र मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों ने साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक राम नरायन सरोज,निरीक्षक धनन्जय कुमार, जय प्रकाश शर्मा, आरक्षी सोनू कुमार, आदर्श मिश्रा रहे।

आटो से बैग चुराने वाला धराया

मिर्जापुर। चुनार पुलिस ने आटो से बैग चुराने वाले आरोपी को गुरुवार धर दबोचा 26 अगस्त को जमालपुर के महेवा छिवलहा निवासी शिवमूरत ने अज्ञात के विरूद्ध ऑटो से यात्रा के दौरान बैग चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी चंदौली के मुगलसराय के सेमरा निवासी सुजीत कुमार को कैलहट पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है।

शांतिभंग की आशंका में 11 का चालान

मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने गुरुवार को शांतिभंग की आशंका में 11 व्यक्तियों का चालान किया है। पुलिस के अनुसार शहर कोतवाली दो, चील्ह दो, चुनार दो, हलिया एक, जिगना तीन व संतनगर एक का चालान किया गया है।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
शाखा मिर्जापुर
परिशिष्ट-IV [नियम 8(1)] कब्जे की सूचना [अचल सम्पत्ति के लिए]
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत नोटिस
1. मेसर्स सुधा इन्टरप्राइजेज प्रोपराइटर- श्रीमती सुधा देवी, [illegible] मिर्जापुर 231303 (ऋणी फर्म)
2. श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री दीन बहादुर, [illegible] मिर्जापुर 231303 (ऋणी/जमानतकर्ता)
3. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री धर्मराज, [illegible] मिर्जापुर 231302 (जमानतकर्ता/बंधककर्ता)
4. श्री दीन बहादुर पुत्र श्री धर्मराज, [illegible] मिर्जापुर 231302 (जमानतकर्ता)
जबकि
[illegible] इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी- मेसर्स सुधा इन्टरप्राइजेज प्रोपराइटर- श्रीमती सुधा देवी, [illegible] मिर्जापुर आदि को इंडियन बैंक से एक मांग सूचना दिनांक 10.05.2026 जारी की जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लेखित रु. 84,24,056.00 (रुपये चौरासी लाख चौबीस हजार छप्पन मात्र) 18.05.2026 तक [illegible] ब्याज, लागत व खर्चों और अन्य शुल्कों के साथ राशि को इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था।
चूंकि उक्त राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडिया अधिनियम की धारा 13(4) के उपबंधों और नियम 8 के साथ पठित उक्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति का वर्ष 2026 के अगस्त माह के 24 वें दिवस का कब्जा ले लिया है।
ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे किसी भी तरह का लेन-देन नहीं करें और लेनदारी की जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन रु. 35,11,884.00 (रुपये पैंतीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ चौरासी मात्र) 24.08.2026 तक [illegible] ब्याज, लागत व खर्चों और अन्य शुल्कों के साथ बैंक इंडियन बैंक के शुल्क के अध्यधीन होगा। इस प्रतिभूति अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और नियम 6 के उप नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर मोचन के अधिकारों से संबंधित है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
[illegible] मौजा [illegible] मिर्जापुर [illegible] 8803 दिनांकित 23.10.2017 को कि [illegible] के नाम में है।
सीमा
[illegible] मौजा [illegible] मिर्जापुर [illegible] 8804 दिनांकित 23.10.2017 को कि [illegible] के नाम में है।
कुल क्षेत्रफल- 29 धूर या 1.84.90 वर्ग मीटर
चौहद्दी विक्रय विलेख सं0 8803 दिनांकित 23.10.2017 के अनुसार : पूर्व- [illegible] 12 फीट चौड़ा [illegible] 12 फीट चौड़ा।
चौहद्दी विक्रय विलेख सं0 8804 दिनांकित 23.10.2017 के अनुसार : पूर्व- [illegible] 12 फीट चौड़ा [illegible] 12 फीट चौड़ा।
दिनांक: 24.08.2026 प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

आई सी एम आर- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, गोरखपुर
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
भर्ती सूचना | RECRUITMENT NOTICE
आईसीएमआर-राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, गोरखपुर (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) की बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज कैम्पस, गोरखपुर-273013 में निम्नलिखित अस्थायी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
Online applications are invited at ICMR-National Institute of Health Research (Department of Health Research, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India) BRD Medical College Campus, Gorakhpur-273013 for the following temporary positions.

क्र.स. S.No.	पदों के नाम Name of the posts	पदों की संख्या No.of posts
01	सलाहकार (प्रशासनिक) Consultant (Admin)	01
02	युवा पेशेवर – II (प्रशासनिक) Yound Professional - II (Admin)	01
03	युवा पेशेवर – II (एफ/ए) Young Professional-II (F&A)	01
04	युवा पेशेवर –II (वैज्ञानिक) Young Professional-II (Scientific)	01

आवेदन की अंतिम तिथि: 13 सितम्बर 2026। साक्षात्कार तिथि और समय: 14.09.2026 से 17.09.2026 तक। [illegible] (http://mihingkp.icmr.org.in/https://www.icmr.gov.in/employment/opportunities/) पर उपलब्ध है।
Last date of application: 13.09.2026. Interview date and time: 14.09.2026 to 17.09.2026 at 9 am. Detailed advertisement, T&Cs and application format are available at the Centre's/ICMR's website (http://mihingkp.icmr.org.in/https://www.icmr.gov.in/employment/opportunities/)
Administrative Officer

खेलो इंडिया युवा संवाद में व्यक्त किए विचार

मिर्जापुर, संवाददाता। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित "खेलो इंडिया युवा संवाद" में युवाओं से संवाद किया।

इसका लाइव प्रसारण नगर के जीडी बिनानी पीजी कॉलेज और चुनार स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पीजी कालेज चुनार में किया गया। इसका आयोजन माई भारत, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कालेज के प्राचार्य अशोक सिंह, जिला युवा अधिकारी (माई भारत) प्रतीक साहू, भारोत्तोलन में दो बार की राष्ट्रीय रजत पदक विजेता एवं जिले की शान ज्योति यादव, तथा एनएसएस समन्वयक रामप्रकाश अस्थाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 240 से अधिक छात्र-छात्राओं ने वर्चुअल प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों शिवशंकर श्रीवास्तव, रिंकेश, संजू,राकेश, सुरेश, शिवम एवं नागेंद्र का योगदान रहा।

टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेकर ट्रेनिंग, कोचिंग, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस, रिकवरी और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर तक का पूरा इकोसिस्टम खिलाड़ी के साथ खड़ा है।

डाक विभाग घोटाले में नहीं हुई इंस्पेक्टर पर कार्रवाई

फॉलोअप

मिर्जापुर,संवाददाता। भारतीय डाक विभाग एवं उसके अधिकारी भी अजीब हैं। जनपद के नरायनपुर उप डाकघर शाखा के कैलहट ग्रामीण डाक शाखा में हुए लगभग 46 लाख रुपये के घोटाले के मामले में तत्कालीन डाक अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन सीधे तौर पर जिस अधिकारी की निगरानी की जिम्मेदारी थी चुनार उपमंडल के डाक निरीक्षक का बाल बांका भी नहीं हुआ।

जबकि डाक निरीक्षक को घोटाले के बाबत नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उपभोक्ता हैरान हैं। घोटाले में मार्च 2026 में कैलहट ग्रामीण डाक शाखा के डाकपाल सलीम के लगभग 46 लाख रुपये के घोटाले का मामला प्रकाश में आया था। आरोप है कि डाकघर चुनार के उपमंडल प्रवीण कुमार ने सलीम को हटाए जाने के बाद उसकी आईडी निष्प्रयोज्य (डी-एक्टिवेट) नहीं कराया।

निरीक्षक के कृत्य से सलीम ने 19 जून-2026 को अपनी आईडी का प्रयोग करते हुए टीडी एवं आरडी खातों में कुल रुपये 23 लाख तीन हजार 888 (2303288) फर्जी जमा करने से रोका नहीं जा सका। तत्कालीन डाक अधीक्षक ने निरीक्षक को जारी नोटिस में स्पष्ट तौरपर मना था कि समय रहते आईडी निष्प्रयोज्य और एफआईआर की कार्रवाई की गई होती तो गमन संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकरण में मंडल अधीक्षक का तबादला हुआ था।

तीन बार बहिष्कार, फिर किया बजट पास

अहरौरा, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद अहरौरा का बहु प्रतिक्षित बजट छह महीने बाद गुरुवार को 41 करोड़ 40 लाख 90 हजार रुपये का अनुमानित आय का सभासदों ने बिना हुल-हुज्जत के करतल ध्वनि से पास कर दिया। बजट पास होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश केशरी ने कहा अब नगर के विकास को गति मिलेगी।

गुरुवार को नगर पालिका क्षेत्र के दुर्गा जी पहाड़ी पर स्थित सामुदायिक भवन में नपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई। इससे पहले तीन बार बजट का बहिष्कार करने के लिए सभासद चौथी बैठक में ताला बजाकर बजट पास कर दिया। पारित बजट में 41 करोड़ 40 लाख 90 हजार रुपये अनुमानित आय एवं 35 करोड़ 84 लाख 20 हजार रुपये अनुमानित व्यय और 5 करोड़ 56 लाख 70 हजार रुपये अनुमानित अवशेष का बजट सर्वसम्मति से पास कर दिया। अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह ने बताया कि बजट में सबसे अधिक निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

बैठक में आशीष कुमार, इरशाद आलम, मो.सलीम, कृष्ण कुमार तिवारी, प्रमोद मौर्य, प्रभु मौर्य, रेहान पटेल, अशोक मौर्य, बिनोद कुमार, सीता जायसवाल, इंद्रावती देवी, मंजू, रेनू आदि सभासद उपस्थित रहे।

शोक प्रस्ताव परित कर बैठक स्थगित

मिर्जापुर। नगर पालिका परिषद की गुरुवार को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में पालिका परिवार से जुड़े तीन लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी, अधिशासी अधिकारी जी लाल, समस्त सभासदों, नामित सभासदों तथा पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेशगंज वार्ड के सभासद शिव सोनी के पिता शंकर लाल सोनी, विंध्याचल वार्ड के सभासद अवनीश मिश्र के पिता शक्ति प्रसाद मिश्र उर्फ रामजी मिश्र, पूर्व सभासद लालचंद सोनकर का गत दिनों निधन हो गया था। उनके निधन से पालिका परिवार में शोक की लहर है। अधिशासी अधिकारी जी लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़कर सुनाया।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
ई-नीलामी बिक्री सूचना
एआरएमबी प्रयागराज, प्रथम तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001
ई-मेलः cs8299@pnb.bank.in
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ब्रिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस।
एतदद्वारा सामान्य रूप से सर्वसाधरण को एवं व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता (ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास बंधक/प्रभारित नीचे बताई गई अचल सम्पत्ति, जिसका बैंक/सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा लिया जा चुका है, को सम्बन्धित ऋणकर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) से बैंक/सेक्योर्ड क्रेडिटर्स को देय, देय राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में बतायी गई तिथि को 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो भी वहाँ है' के आधार पर बिक्री किया जाएगा। दिनांक 24.09.2026 को, मेसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज जिसके प्रोपराइटर रूपा सिंह पत्नी संदीप कुमार सिंह से सिक्योर्ड क्रेडिटर को देय रू. 1,68,94,905.84 + 01.08.2026 से देय ब्याज और अन्य शुल्क की वसूली के लिए नीलामी होगी। जिसकी आरक्षित मूल्य रू. 1,42,23,000/- होगी एवं ई.एम.डी. रू. 14,22,300/- होगी।

शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी / जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण/स्वामियों का नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	(अ) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गतमाँग सूचना की तिथि / (ब-1) सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के समय बकाया राशि (ब.2) 31.07.2026 को बकाया राशि / (स) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अर्न्तगत कब्जा तिथि / (द) कब्जा का प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	(अ) आरक्षित मूल्य (रू. लाख में) / (ब) ई.एम.डी. (रू. लाख में) / (स) ई.एम.डी. बिड की अंतिम तिथि / (द) बिड वृद्धि राशि (रू. लाख में)	ई-नीलामी तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋण भार का विवरण
एआरएमबी प्रयागराज (829900) / मैसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज / मैसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज, खाता संख्या- 6742008700001182 एवं 674200AF00000017, एआरएमबी प्रयागराज (829900) / उधारकर्ता/जमानतकर्ताः- (1) मेसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज (प्रो.-श्रीमती रूपा सिंह पत्नी संदीप कुमार सिंह), पता- धनसिरिया, राजगढ़, मरिहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.) (2) श्रीमती रूपा सिंह पत्नी संदीप कुमार सिंह, पता- धनसिरिया, राजगढ़, मरिहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.) / जमानतकर्ता/बंधककर्ताः- श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र राम कृपाल सिंह, पता- धनसिरिया, राजगढ़, मरिहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.)	मौज़ा धनसिरिया, परगना भागवत, तहसील मड़िहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.) में स्थित आराज़ी नंबर 180 (क्षेत्रफल 0.185 हेक्टेयर) वाली संपत्ति का रजिस्टर्ड मॉर्गेज। क्षेत्रफल- 0.185 हेक्टेयर। **सम्पत्ति के स्वामी- संदीप कुमार सिंह पिता राम कृपा सिंह।** **चौहद्दी (डीड के अनुसार):- पूर्व-** 10'0' चौड़ा खड़ंजा, **पश्चिम-** अमित सिंह की संपत्ति, **उत्तर-** धनसिरिया से मड्डुपुर जाने वाला 4.00 मीटर चौड़ा मड्डुपुर मार्ग, **दक्षिण-** संदीप सिंह की सम्पत्ति।	(अ) 29.08.2025 / (ब-1) रू.150,62,086.09 + देय ब्याज दिनांक 01.08.2026, से प्रभावी एवं अन्य प्रभार (-) वसूली, यदि कोई हो / (ब-2) रू.168,94,905.84 + देय ब्याज दिनांक 01.08.2026, से प्रभावी एवं अन्य प्रभार (-) वसूली, यदि कोई हो / (स) 19.12.2025 / (द) प्रतीकात्मक कब्जा	(अ) रू. 1,42,23,000/- / (ब) रू. 14,22,300/- / (स) 23.09.2026 को सांय 04:00 बजे तक / (द) रू. 50,000/-	24.09.2026 को प्रातः 11.00 से सायं 04.00 बजे तक	ज्ञात नही

चल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत चल सम्पत्तियों की ब्रिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस।
एतदद्वारा सामान्य रूप से सर्वसाधरण को एवं व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता (ओं) और जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास बंधक/प्रभारित नीचे बताई गई चल सम्पत्ति, जिसका बैंक/सेक्योर्ड क्रेडिटर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा लिया जा चुका है, को सम्बन्धित ऋणकर्ता(ओं) और जमानतकर्ता(ओं) से बैंक/सेक्योर्ड क्रेडिटर्स को देय, देय राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में बतायी गई तिथि को 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो भी वहाँ है' के आधार पर बिक्री किया जाएगा। दिनांक 24.09.2026 को, मेसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज जिसकी प्रोपराइटर रूपा सिंह पत्नी संदीप कुमार सिंह से सिक्योर्ड क्रेडिटर को देय रू. 1,68,94,905.84 + 01.08.2026 से देय ब्याज और अन्य शुल्क की वसूली के लिए नीलामी होगी। जिसकी आरक्षित मूल्य रू. 13,50,000/- होगी एवं ई.एम.डी. रू. 1,35,000/- होगी।

शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी / जमानतकर्ता का नाम एवं पता	चल सम्पत्तियों का विवरण	(अ) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गतमाँग सूचना की तिथि / (ब-1) सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के समय बकाया राशि (ब.2) 31.07.2026 को बकाया राशि / (स) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अर्न्तगत कब्जा तिथि	(अ) आरक्षित मूल्य (रू. लाख में) / (ब) ई.एम.डी. (रू. लाख में) / (स) ई.एम.डी. बिड की अंतिम तिथि / (द) बिड वृद्धि राशि (रू. लाख में)	ई-नीलामी तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋण भार का विवरण
एआरएमबी प्रयागराज (829900) / मैसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज / मैसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज, खाता संख्या- 6742008700001182 एवं 674200AF00000017, एआरएमबी प्रयागराज (829900) / उधारकर्ता/जमानतकर्ताः- (1) मेसर्स श्रेयांश कोल्ड स्टोरेज (प्रो.-श्रीमती रूपा सिंह पत्नी संदीप कुमार सिंह), पता- धनसिरिया, राजगढ़, मरिहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.) (2) श्रीमती रूपा सिंह पत्नी संदीप कुमार सिंह, पता- धनसिरिया, राजगढ़, मरिहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.) (3) श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र राम कृपाल सिंह, पता- धनसिरिया, राजगढ़, मरिहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.) (जमानतकर्ता/बंधककर्ता)	आराज़ी संख्या- 180, क्षेत्रफल- 0.185 हेक्टेयर, मौज़ा धनसिरिया, परगना भागवत, तहसील मड़िहान, मिर्ज़ापुर-231001 (उ.प्र.) पर कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी मशीनें और प्लांट, जो इस अचल संपत्ति पर लगाए गए हैं:- लगाई गई मशीनों का विवरणः- (1) BITZER जर्मनी की बनी इम्पोर्टेड एयर-कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट मॉडल- LH114E/4TES-12Y-40P, 3 यूनिट बड़े कमरे के लिए, 1 यूनिट छोटे कमरे के लिए), (2) Vacom कंट्रोल पैनल VIN-12HP, (3) 13/8' सक्शन एक्युमुलेटर ड्राई A115430-11S, (4) फ़िल्टर ड्रायर 5/8' DML16502375068, (5) EVR15 सोलनॉइड वॉल्व 5/8' 032L1228, (6) सोलनॉइड कॉइल 018F6251, (7) 009L7053 बॉल वॉल्व 5/8', (8) 067B3342 वॉल्व एलिमेंट, (9) 067B2792 ओरिफ़िस नंबर 4।	(अ) 29.08.2025 / (ब-1) रू.150,62,086.09 + देय ब्याज दिनांक 01.08.2026, से प्रभावी एवं अन्य प्रभार (-) वसूली, यदि कोई हो / (ब-2) रू.168,94,905.84 + देय ब्याज दिनांक 01.08.2026, से प्रभावी एवं अन्य प्रभार (-) वसूली, यदि कोई हो / (स) 19.12.2025	(अ) रू. 13,50,000/- / (ब) रू. 1,35,000/- / (स) 23.09.2026 को सांय 04:00 बजे तक / (द) रू. 50,000/-	24.09.2026 को प्रातः 11.00 से सायं 04.00 बजे तक	ज्ञात नही

नोटः- प्लांट और मशीनरी तथा अचल संपत्ति (जिसमें प्लांट और मशीनरी लगी हुई है) को एक साथ बेचा जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को प्लांट और मशीनरी तथा अचल संपत्ति, दोनों के लिए बोली लगानी होगी।
नियम एवं शर्तें
(1) बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 और आगे की नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। (2) सम्पत्तियों को 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो भी वहाँ है' के आधार पर बेचा जा रहा है। (3) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (4) बिक्री के लिए दिनांक 24.09.2026 को सुबह 11.00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्य वेबसाइट (1) https://ebkray.in (2) www.pnbindia.in पर उपलब्ध कराए गये ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। (5) बिक्री की विस्तृत नियम तथा शर्तों के लिए, कृपया https://ebkray.in और www.pnbindia.in को देखें।
सरफेसी अधीनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना
दिनांकः 21.08.2026 स्थानः प्रयागराज प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, सीटी, मीरजापुर
पत्रांकः- 2139/पशुपालन/भूसा/ई-निविदा/2026-27 दिनांकः- 27/08/2026
भूसा आपूर्ति हेतु ई-निविदा की शर्तें
विकास खण्ड मीरजापुर के अन्तर्गत ग्रामसभा गौ आश्रय स्थल- शाहपुर भौसा, बर्जीमुकुन्दपुर, दुहौना, पकड़ा हनुमान व सिरसी गफरसार में भूसा, सड़ीदिन आहार (चूनी, चोकर, हरा चारा आदि) की आपूर्ति हेतु ऑनलाइन टेण्डर में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री आपूर्ति की लिये निविदा निम्न शर्तों पूर्ण कर भरा सकते है।
1. www.etender.up.nic.in पर ई-निविदा के माध्यम से दिनांक 20.08.2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 05.09.2026 के अपरान्ह 02:00 बजे तक आन लाइन डाली जा सकती है।
2. निविदा दिनांक 07.09.2026 को सायं 4:00 बजे सामग्री क्रय समिति द्वारा टेण्डर खोला जायेगा।
3. निविदा भरने के साथ निम्न प्रपत्रों की स्व-हस्ताक्षरे अग्रसित सत्यापित प्रतियां आवश्यक है:- 1. जीएसटीए पंजीकरण नम्बर की प्रति पैनकार्ड, बैंक 10% के नाम-म्यूनिसिपल स्टोरेज गोल पर धारण उपलब्ध कराना होगा कि उनकी फर्म का किसी भी राजकीय/निजी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, वर्तमान वर्ष सर्वपरि वाउचर का फोटो अवार प्रमाण पत्र, मिर्जापुर वर्ष 2025-26 में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशु पालन विभाग (उ0प्र0) मीरजापुर द्वारा अनुमोदित भूसा की सप्लाई का 02 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में एनएसएसओ/एफडीओ जो खण्ड विकास अधिकारी सीटी. मीरजापुर के पक्ष में बन्धक हो की प्रति।
4. जिस फर्म की दर सबसे कम होगी उसी फर्म को सामग्री आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश प्रदान की जायेगी।
5. निविदा को दरों में समावेश दर करा जीएसटीए सहित का सम्मिलित करके ही दर उपलब्ध कराया जाय।
6. मीरजापुरी का भुगतान सम्बन्धित फर्म सामग्री सप्लाई गौ आश्रय स्थल- शाहपुर भौसा, बर्जीमुकुन्दपुर, दुहौना, पकड़ा हनुमान व सिरसी गफरसार के संचालन समिति को देगी। साथ ही साथ कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र सं0 708 दिनांक 26.08.2018 के अनुसार 01 प्रतिशत की दर से एसजीएसटीए एवं 01 प्रतिशत की दर से सी0जी0एसटीए कुल 02 प्रतिशत की कटौती पशु आहार गौ आश्रय स्थल- शाहपुर भौसा, बर्जीमुकुन्दपुर, दुहौना, पकड़ा हनुमान व सिरसी गफरसार के संचालन समिति द्वारा भुगतान के भुगतान की जायेगा।
7. निविदा भरने का शुल्क रू0 1000.00 रुपये है, जो खण्ड विकास अधिकारी, सीटी मीरजापुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा।
8. भूसे, साइलेज एवं सांद्रित आहार (चूनी, चोकर, हरा चारा आदि) की मात्रा आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।
9. समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है।
10. अपरोक्त निविदा अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष/अगला दर अनुबन्ध होने तक के लिये नवीन ई-टेण्डर स्वीकृत होने तक मान्य होगी जो दर अनुबन्ध के आधार पर होगी।
11. दर अनुबन्ध प्रदेश प्राप्त होने के उपरान्त गोशिष आश्रय स्थल संचालन समिति की मांग के अनुस